

कार्यालय : जिला कार्यक्रम अधिकारी, चित्रकूट।

पत्रांक 61296/जि0का0अधि0/बा0वि0परि0/विज्ञापित/2025-26 दिनांक :- 15 नवम्बर, 2025

पूर्व चयन के शेष रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापित

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व चयन के शेष रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पदों पर सीधी भर्ती हेतु शासनादेश संख्या-1/1092245/2025/3313/58-1-2025(1917687). दिनांक 17.09.2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद के ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेब साइट <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत् है :-

| क्र० सं० | परियोजना का नाम | ग्रामीण/शहरी | रिक्त पदों का विवरण |
|----------|-----------------|--------------|------------------------|
| | | | आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री |
| 1 | कर्वी | ग्रामीण | 01 |
| 2 | रामनगर | ग्रामीण | 02 |
| 3 | मानिकपुर | ग्रामीण | 04 |
| 4 | मऊ | ग्रामीण | 01 |
| कुल योग- | | | 08 |

उपरोक्त पदों का ग्रामसभा/आंगनवाड़ी केन्द्रवार विवरण एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील एवं विकास खण्ड इत्यादि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है साथ ही विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर अपलोड है।

विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश:-

1. विज्ञापित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।
2. रिक्त पदों (आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री) हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट एवं उसके समकक्ष तथा अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जायेगी।
3. आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड/ग्राम सभा की स्थाई निवासी होना अनिवार्य होगा। ग्राम सभा में उक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में सम्बन्धित न्याय पंचायत का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। नगरीय क्षेत्र में रिक्त पदों पर आवेदन करते समय ऑनलाइन जारी निवास प्रमाण पत्र में सम्बन्धित वार्ड क्रमांक/संख्या एवं सम्बन्धित वार्ड का नाम अनिवार्य रूप से अंकित होना चाहिए।
4. निवास व जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत अद्यतन निवास व जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन संभव हो।
5. कार्यकर्त्री पद के लिए आवेदिका की न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष के मध्य होना चाहिए। आयु की गणना हेतु कट ऑफ तिथि 01 जुलाई, 2025 होगी।
6. कार्यकर्त्री पद पर भर्ती हेतु बी0पी0एल0 श्रेणी के आवेदिकाओं को वरीयता प्रदान की जायेगी। बी0पी0एल0 श्रेणी का निर्धारण समाज कल्याण अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-22/2015/2123/26-2-2015 दिनांक 14 सितम्बर 2015 (यथा संशोधित) के अनुसार किया जायेगा।
7. आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के राजस्व अनुभाग-9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-3959/1-9-11-राज0-9 दिनांक 30.09.2011 (यथा संशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन संभव हो।
8. विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी / सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी।
9. तलाकशुदा एवं परित्यक्ता के सम्बन्ध में मा0न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे।
10. विज्ञापित पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन पर फार्म निर्धारित समयावधि के अन्दर ही स्वीकार्य होंगे। ऑफलाइन आवेदन पत्र किसी भी दशा में मान्य/स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
11. आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध फार्मेट ऑनलाइन व सही-सही सावधानी पूर्वक भरे जायेंगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों के स्व हस्ताक्षरित प्रति जो स्वच्छ व पठनीय हो पोर्टल <http://upanganwadibharti.in> पर अपलोड की जायेगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फार्म में किया गया होगा। कोई भी आवेदन या अभिलेख/प्रपत्र ऑफ लाइन या डॉक द्वारा मान्य नहीं होंगे। यदि आवेदन करने में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/ऑकड़े/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूट रचित पाये जायेंगे तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

12. विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि दिनांक 06.12.2025 की मध्य रात्रि 12:00 बजे तक होगी।
13. उपरोक्त विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत प्रपत्र एवं सूचना विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर उपलब्ध है साथ ही अधिक जानकारी हेतु विकास खण्ड के बाल विकास परियोजना कार्यालय अथवा विकास भवन में जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास विभाग) कार्यालय से कार्यालय दिवस में निर्धारित समयानुसार जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
14. रिक्त पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है। रिक्त पदों पर भर्ती करने अथवा न करने/भर्ती निरस्त करने का अधिकार चयन समिति में निहित होगा।

(पी0डी0विश्वकर्मा)
जिला कार्यक्रम अधिकारी/
नियुक्ति प्राधिकारी
चित्रकूट।

पृष्ठोंकन सं० :- / तद दिनोंक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अवलोकनार्थ।
2. जिलाधिकारी महोदय, चित्रकूट को अवलोकनार्थ ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, चित्रकूट।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, चित्रकूट।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, चित्रकूट।
6. समस्त उप जिलाधिकारी, चित्रकूट।
7. समस्त तहसीलदार, चित्रकूट को नोटिस बोर्ड में चस्पा करने हेतु।
8. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, चित्रकूट को नोटिस बोर्ड में चस्पा करने हेतु ।
9. समस्त सदस्य, आंगनवाडी चयन समिति, चित्रकूट।
10. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, को इस निर्देश के साथ कि उक्त विज्ञापित की अपने कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा करते हुए प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें।
11. जिला सूचना अधिकारी, चित्रकूट को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञापित का जनपद में व्यापक प्रसार वाले एक स्थानीय एवं एक प्रदेश स्तर के दैनिक समाचार पत्रों में न्यूनतम स्थान एवं दर में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
12. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (NIC) चित्रकूट को इस अनुरोध के साथ कि इस विज्ञापित को NIC की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
13. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, चित्रकूट को नोटिस बोर्ड में चस्पा करने हेतु।
14. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/ नगर पंचायत कर्वी, मानिकपुर, मऊ एवं राजापुर को नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।
15. नाजिर कलेक्ट्रेट, चित्रकूट को नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।
16. नाजिर विकास भवन, चित्रकूट को नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।
17. कार्यालय प्रति ।

जिला कार्यक्रम अधिकारी/
नियुक्ति प्राधिकारी
चित्रकूट।